Rap Rules - Suptal.

संख्याः पर (एपी)सी-ए (३)-5/2003-। प्रदेश सरकार कार्विक विकासित-।।।)

Roller.

िरामका

25 जुलाई, 2016

प्रेषक

अतिरिक्त गुरुष शबिद्ध (कार्गिक) दिमावल प्रदेश सरवगर। ु

प्रेपित

समस्य अधिरिक्त मुख्य सविव/प्रघान सचिव/सविव/विरोष सचिव/अतिरिक्त सविव/संयुक्त सविव/उप सविव/अवर सविव, हिमाचल प्रदेश सरकार।

विषय:

अर्थी एवं परोव्यति नियम बनाने सम्बन्धी हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषीय भागवह प्रथत्र ह

महोदय.

उपरोक्त विषय पर छुरा विभाग के पञ रांख्या पर(एपी-।)३ (2)-2/80-लूज़ दिवाँक 20 जितक्वर, 1993 के प्रशंग को जारी रखते दुए सुद्रे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वर्तमान में सीवी भर्ती के पदी को वियमित आधार पर भरे जाने के साथ-साथ अनुबन्ध आधार पर भी भरा जा रहा है। सरकार द्वारा भर्ती एंय प्रोत्नोते नियमों बारे व अनुबन्ध पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित अनुदेश/निर्णय राजय-रागय पर लिए गए हैं, जिनका उल्लेख विभाग द्वारा सम्बन्धित पद के भर्ती एंट प्रोक्ति ियमों में संशोधन के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। इस परिवर्तनों को भ्याम में भ्रमते हुए पूर्वकियत डिन्दी/अंग्रेजी मानक प्रपन्नों में यसानुसार मानक राष्ट्रावली तथा अञ्चलन अधेक्षित अनुदेशों के समावेश हेतु सवीक्ष मानक प्रवत्र अधुष्ट्य "क" हिन्दी आषा में तथा अनुबन्ध "स्र" अंग्रेजी शाषा में सभी के सुविधार्थ रांलग्न हैं। राभी प्रशासनिक विभागों से आग्रह है कि अदिव्य में समस्त जवीन भर्ती एवं पदोन्जति नियम व वर्तमान नियमों में संशोधन से सम्बन्धित प्रस्ताव सलंग्न अधुष्ट्रधानुसार रीसार कर राभी परामर्शी विभागों की रांबीभा/राहमति हेतु प्रस्तुत करें।

कृपया उपरोक्ता अनुदेश समरत राम्बन्धित के ध्यान में दृद अनुपालना देतु

लाए जाएं।

भवदीय,

संलग्नकः यथोपरि ।

Mound Hill (राज सिंह रिनोट) अवर सर्विवं (क्रार्मिक) हिमावल प्रवेश सरकार।

दूरभाष:0177 2624646 संख्याः पर (एपी)औ-ए (३)-5/2003-। दिवांनाः शिमला-2, 25 जुलाई, 2016 प्रतिलिपि निम्न को सूनकार्य एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रकृत है:-

ा. रामस्त विभागाध्यक्ष, हिगावल प्रदेश।

2. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक रोवा आयोग, शिमला-2 को उनके एत्र संख्याःपी एस सी-1/71 (एर), दिनांक 1.6.2016 के संदर्भ में।

समस्त अनुभाग अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राविवालय, शिमला–171002.

4. वार्ड फाईल-1,00 प्रतियाः।

अपर राविष (कार्मिक) िमाचल प्रहेशं सरकार।

4446

Annexure-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF

(GAZETTED/NON-GAZETTED) CLASS - I, II, III & IV IN HIMACHAL PRADESH.

1.	Name of Post	
2.	Number of Post(s)	
3.	Classification	
4.	Scale of Pay (Be given in expanded notation)	: (I) Pay band for regular incumbent(s):  ₹+₹ Grade Pay.
		(II) Emoluments for Contract Employee(s):  ₹as per details given in Col. No.15-A
5.	Whether "Selection" post or "Non-Selection" post;	

6.

Age for direct

recruitment

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

18 to 45 years.

Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such

staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note: Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

- 7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s):
  - other a) Essential Qualification(s):
    - b) Desirable Qualification(s):

Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promote(s):

Age:

Educational Qualification(s):

9. Period of Probation, if any:

#### i) Direct Recriuitment:

- (a)Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
- (b)No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, reemployment after superannuation and absorption.

#### ii) Promotion:

(a) Two years or the period of probation prescribed for the direct recruitment to the post, if any, in the case of promotion from one group to another e.g. Class-II to Class-I.

(b) No probation in case of promotion from one grade to another but within same class of posts e.g. from Class-III to Class-III.

- Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:
- 11. In case of recruitment by promotion/ secondment/ transfer, grade(s) from which promotion/ secondment/ transfer is to be made:
- (I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/ Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/ transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

**Explanation I:-** For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/ convenience.

Explanation II:- For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

- 1. District Lahaul & Spiti.
- 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
- 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
- 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.
- Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
- 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
- 7. District Kinnaur.
- 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magril and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III: For the purpose of proviso (I) supra the Remote/ Rural Areas shall be as under:

- i) All statitions beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil headquarter.
- ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
- Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.
- (II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:
  - (i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

**Explanation:-**The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III: For the purpose of proviso (I) supra the Remote/ Rural Areas shall be as under:

- All statitions beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil headquarter.
- ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
- iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.
- (II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:
  - (i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

**Explanation:-**The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel



(Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical

Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

- 12 If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition:
- a) Where promotion is prescribed as method of recruitment, the composition of Department Promotion Committee (for considering promotion) shall be indicated.
- b) Where the method includes direct recruitment/absorption/re-employment of Armed Forces personnel, the composition of Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) shall be indicated.
- Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (HPPSC) is to be consulted in making recruitment:


As required under the Law.

Essential requirement for a direct recruitment:

A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

Selection for appointment to the post by direct recruitment:

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/ personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider



necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/ other recruiting agency/ authority as the case may be.

#### 15-A Selection for appointment to the post by contract appointment :

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

post will be made subject to the terms and conditions given below:-
(I) <u>CONCEPT</u> :
(a) Under this policy the(Name of the post) ir (Name of the Department) H.P. will be engaged on contract
basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed /extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC/ HPSSC:
The(Designation of the appointing authority) after
obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on
contract basis will place the requisition with the concerned recruiting
agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission/Himachal
Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.
(c) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPPSC/ HPSSC:-
The(Designation of the appointing authority) after obtaining
the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract
basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading
newspapers and invite applications from candidates having the prescribed

(d) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules;

qualifications and fulfilling the other eligilibility conditions as prescribed

#### (II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS

in these rules.

	The	(Name of the post) appointed on contract basis will be				
	paid cor	nsolidated fixed contractual amount @ ₹/- P.M (which shall				
	be equa	al to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ₹				
	/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as					
	annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will					
	be allow	ved, if contract is extended beyond one year.				
(II)	I) APPO	DINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY				
	The	(Designation of the appointing authority) will be the				

#### (IV) SELECTION PROCESS:

appointing & disciplinary authority.

#### (a) FOR POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC/HPSSC:

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of interview/personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission/ Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

### (b) <u>FOR POST(S) FALLING OUT OF THE PURVIEW OF HPPSC/HPSSC</u>: Selection for appointment to the post in the case of contract appointment

will be made on the basis of interview/personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority.

# (V) <u>COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL</u> APPOINTMENTS:

#### (a) FOR POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC/HPSSC

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal

Pradesh Public Service Commission/Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur, from time to time.

#### (b) FOR POST(S) FALLING OUT SIDE THE PURVIEW OF HPPSC/HPSSC

As may be constituted by the concerned recruiting authority from time to time.

#### (VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these rules.

#### (VII) TERMS AND CONDITIONS:

- (a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @

  ₹ \_\_\_\_\_\_/- P.M (which shall be equal to minimum of the pay band +
  grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in
  contractual amount @ ₹ \_\_\_\_\_\_/- (3% of minimum of the pay band +
  grade pay of the post) for further extended years and no other allied
  benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
- (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis.

  The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
- (c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days maternity leave, 10 days medical leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be

carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- (e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government /Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
- (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.
- (h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Schame as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16 Reservation:

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17 Departmental Examination:

Every member of the servide shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Preadesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

OR

Not applicable

18 Power to Relax:

Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

\*\*\*\*

# ANNUEXURE-"B"

Go	vernment of Himachal Pradesh through (Designation of the Appointing thority).
Thi yea Shr	rBetweenSh./Smt. S/o/D/o
Cor	ntract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal
Pra	desh through (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh
(he	re-in-after referred to as the SECOND PARY).
Wh	ereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY
has	agreed to serve as a (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:-
1.	That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a
	(Name of the post) for a period of one year commencing on day of
	and ending on the day of It is specifically mentioned and
	agreed upon by both the parties that the contract of theFIRST PARTY with
	SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on
	and information notice shall not be necessary:
	Provided that for further extention/renewal of contract period the HOD shall
	issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory
	during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
2.	The contractual amount of the FIRST PARTY will be ₹/- per month.
3.	The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to
	be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4.	Contractual(Name of the post) will be entitled for one day's casual leave after
	putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days
	maternity leave, 10 days medical leave and 5 days special leave. A female contract appointee
	shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of
	surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on
	production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer.

He/she shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of
  posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative
  grounds.
- 7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
- 8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
- 9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

fame and Full Address)	
and run ruuress)	(Signature of the FIRST PART)
ame and Full Address)	

(Signature of the SECOND PARTY)

के

	प्रदेशविभाग लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।	मेंवर्ग- ।/।।/।।/।v( राजपत्रित/अराजपत्रित)
1	पद का नाम	
2	पदों की संख्या	:
3	वर्गीकरण	
4	वेतनमान (विस्तृत रुप में अंकित करें)	।) नियमित पदधारियों के लिए पे बैण्डः  ₹ + ग्रेड पे  ।।) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांः स्तम्भ संख्या 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार  ₹प्रितमास।
_	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

5 पद ''चयन'' है या ''अचयन''

6 सीधी भर्ती के लिए आयु : 18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप मे नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछडा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं

और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणीः सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं।

- त्र सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:
- क) अनिवार्य अर्हताः
- ख) वांछनीय अर्हताएं: हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ठ दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
- श्रीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं:

आयु : शैक्षिक अर्हताएं :

9 परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:

### सीधी भर्तीः

- (क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिये विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।
- (ख) संविदा, पदाविघ, अधिवर्षिता उपरान्त पुनः नियोजन और समावेश आधार पर नियुक्तियों में परिवीक्षा लागू नहीं होगी।

## <u>प्रोन्नतिः</u>

(क) एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी अर्थात श्रेणी—।। से श्रेणी—। में प्रोन्नित की दशा में दो वर्ष अथवा

पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है।

- (ख) एक ग्रेंड से दूसरे ग्रेंड किन्तु पदों की उसी श्रेणी अर्थात श्रेणी—।।। से श्रेणी—।।। में प्रोन्नति के मामलों में कोई परिवीक्षा नहीं।
- 10 भर्ती की पद्धतिः
  भर्ती सीधी होगी या
  प्रोन्नित / सैकेण्डमैंट /
  प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा
  और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे
  जाने वाले पदो की प्रतिशतताः
- 11 प्रोन्नति / सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण किया जाएगाः
- (1) परन्तु प्रोन्नित के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय / दुर्गम / अगम्य क्षेत्रों और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष की या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि ऐसे पदधारियों को, उनकी प्रोन्नित पर, दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात / स्थानान्तरित किया जा सकेगाः

परन्तु यह और भी कि उस अधिकारी/कर्मचारी को, जिसनें जनजातीय/दुर्गम/अगम्य क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा उसकी वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I: — उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम/अगम्य क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" से, प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अविध या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अविध अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II:- उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:-

- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
- 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।
- 3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र। .
- 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

- 5. जिला कुल्लू का पन्द्रह बीस परगना।
- 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
- 7. जिला किन्नौर।
- 8. सिरमौर जिला में, उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़—भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
- 9. मण्डी जिला में, करसोग तहसील का खनयोल—बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उपतहसील के गाड़ा गुशैणी, मिटयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पटवार वृत, पद्भर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिलह—भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चिउणी, कालीपार, मानगढ़, थाच—बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

स्पष्टीकरण—III: उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ़ / ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

- (i) उप-मण्डल / तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान ।
- (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहाँ के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।
- (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को घ्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।
- (2) प्रोन्नित के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नित के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नित, भर्ती और प्रोन्नित नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:
- (i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई किनष्ट व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सिहत, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे विरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने—अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय किनष्ट व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नित के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नित नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नित किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे किनष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नित के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण:- अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत किनष्ठ पदधारी प्रोन्नित के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि

विरष्ट अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन—टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत् भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स—सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत् भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नित, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नित नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् स्थाईकरण के फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

- 12 यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचनाः
- (क) जहां प्रोन्नित को भर्ती की पद्धित के रूप में विहित किया गया है वहां विभागीय प्रोन्नित समिति की संरचना (प्रोन्नित हेतु विचार करने के लिए) उपदर्शित की जाएगी।
- (ख) जहां पद्धति में, सशस्त्र बलों के कार्मिकों की सीधी भर्ती / आमेलन / पुनः नियोजन सम्मिलित है, वहां विभागीय स्थायीकरण समिति की संरचना (स्थायीकरण हेतु विचार करने के लिए) उपदर्शित की जाएगी।
- 13 भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः

जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14 सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15 सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षाः सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यिद, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की ) /लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण /प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी।

# 1) संकल्पना

(क) इस पॅालिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश......(विभाग का नाम) में ......(पद का नाम) का संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु संविधा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग / हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आना :

....... (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम), रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यापेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग / हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग / हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर होना :

....... (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम), रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् रिक्त पद (पदों) के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हताएं रखने वाले और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यिर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

- (ध) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा।
- (।।) संविदात्मक उपलब्धियां :

संविदा के आधार पर नियुक्त .........(पद का नाम) को ₹----- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹----- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

- (III) <u>नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी</u> :
  - ...... (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम ), नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
- (IV) <u>चयन प्रकिया</u>:
- (क) <u>पद (पदों) का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग / हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आना</u> :

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा और यदि, यथास्थिति, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की )/लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर /पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा

आयोग / हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(ख) <u>पद (पदों) का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग / हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग</u> के कार्यक्षेत्र में न आना :

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति,ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की ) / लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

- (V) <u>संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति</u> :
- (क) <u>पद (पदों) का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग / हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आना :</u>

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा अयोग / हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय समय पर गठित की जाए।

(ख) <u>पद (पदों) का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग / हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में न आना</u> :

जैसा कि सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण द्वारा समय समय पर गठित की जाए।

**(VI)** करार :

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध "II" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

# (VII) <u>निबन्धन और शर्ते</u> :

- (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹---- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, आगे बढ़ाए गए वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹---- की दर से (पे बैन्ड का न्यनूतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
- (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यावसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
- (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकिस्मक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सिहत गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर पैतालिस दिन से अनिधक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्त्तव्य से अनिधकृत अनुपिश्थित से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवाधिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्तव्यं (डयूटी) से अनिधकृत अनुपिश्थित के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अविध अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपिश्थित की ऐसी अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- (ड.) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।
- (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
  - (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।
  - (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0 एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ—साथ ई.पी.एफ. / जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

16 आरक्षणः

सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय— समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन होगी।

17 विभागीय परीक्षा

सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय—समय पर यथा संशोधित, विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पारित करनी होगी ।

या

लागू नहीं ।

18 शिथिल करने की शक्ति

ः जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

(पद का नाम) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के				
माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्रारूप।				
यह करार श्री / श्रीमति पुत्र / पुत्री श्री निवासी,संविदा पर				
नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य, .				
के माध्यम से आज तारीख को किया गया।				
द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने (पद का नाम) के रूप में				
संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:				
1. यह कि प्रथम पक्षकार(पद का नाम) के रूप में से प्रारम्भ होने और				
को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा।				
यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम				
पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्दिन				
को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :				
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध				
विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष				
के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की				
जाएगी।				
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी)				
प्रतिमास होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में				
₹ की दर से (पे बैन्ड के न्यनूतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और				
कोई अन्य सहबद्ध प्रसविधाएं जैसे वरिष्ट / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।				

प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का

कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी

3.

होगी।

संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर पैतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्त्तव्य से अनिधकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवाधिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्तव्यं (डयूटी) से अनिधकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अविध अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

5.

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- 6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।
- 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
- 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

9. नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0 एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ. / जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :				
1				
(नाम व पूरा पता)		(प्रथम	पक्षकार के हस्ताक्षर)	
2				
(नाम व पूरा पता)				
		(द्वितीय	। पक्षकार के हस्ताक्षर)	